

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 नवम्बर 2015—अग्रहायण 5, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. 84 (13)-वि.निर्वा.-चार-2015-उपचुनाव-480.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में 24-रतलाम (अजजा) संसदीय एवं 171-देवास विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पद को भरने हेतु सम्पन्न हुए उप चुनाव के परिणाम की घोषणा प्ररूप 21-घ, जिसमें निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं.

एस. एस. बंसल, सचिव.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्त को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.

मध्यप्रदेश (राज्य) के 24-रतलाम (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि :—

श्री कान्तिलाल भूरिया, म. क्र. 86 ग्राम मोरडूंडिया, तह. राणापुर, जिला झाबुआ (म. प्र.)

1[जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी) द्वारा खड़े किए गए हैं.]

उस सदन में,

श्री दिलीपसिंह भूरिया की मृत्यु के कारण*

श्री दिलीपसिंह भूरिया का स्थान रिक्त हो जाने के कारण* हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं.

स्थान : झाबुआ

तारीख : 24 नवम्बर 2015

हस्ता./-

(डॉ. अरूणा गुप्ता)

रिटर्निंग ऑफिसर,

24-रतलाम (अ.ज.जा.) संसदीय क्षेत्र.

FORM-21 D

(See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from the **24-Ratlam (ST) Parliamentary Constituency in Madhya Pradesh (State).**

In pursuance of the provision contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I, declare that **KANTILAL BHURIA, House No. 86 Mordundiya, Teh. Ranapur, District Jhabua (M.P.)** Sponsored by **Indian National Congress** (recognized political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the,—

*death of **Mr. Dileep Singh Bhuriya**

*seat of **Mr. Dileep Singh Bhuriya** vacant. having been declared.

Place : Jhabua

Date : 24th November 2015.

Sd./-

(Dr. ARUNA GUPTA)

Returning Officer,

24-Ratlam (ST),

Parliamentary constituency.

प्रारूप 21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्त को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.

171-देवास विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से मध्यप्रदेश की विधान सभा के लिये निर्वाचन.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमती गायत्री राजे पवार, पता आनन्द भवन पैलेस, ए. बी. रोड, देवास जो कि भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उस सदन में,

श्री तुकोजीराव पवार के निधन के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : देवास

तारीख : 24 नवम्बर 2015

हस्ता./-

(रजनीश कसेरा)

रिटर्निंग ऑफिसर,

विधान सभा क्षेत्र 171-देवास.

FORM-21 D

(See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh From 171-Dewas Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I, declare that :—

Smt. GAYATRI RAJE PUAR (Name), Anand Bhawan Palace, A. B. Road, Dewas (M.P.) (Address) [Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the Death of Tukoji Rao Puar having been declared vacant.

Place : Dewas

Date : 24th November 2015.

Sd./-

(RAJNEESH KASERA)

Returning Officer,

171-Dewas.